"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी 2011—माघ 29, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 1- /2011/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा, दुर्ग जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 59-संजारी बालोद के उप निर्वाचन हेतु नियत मतदान की तिथि सोमवार, दिनांक 14 फरवरी, 2011 को मतदान के लिए उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

2. क्रमांक एफ 1- 2011/1/5.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा, दुर्ग जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 59-संजारी बालोद के उप निर्वाचन हेतु नियत मतदान की तिथि सोमवार, दिनांक 14 फरवरी, 2011 को मतदान के लिए उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2011

फा. क्र. 863/360/21-ब/छ.ग./2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड एक एवं छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 8 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री आत्मज-श्री नागेन्द्र कुमार शास्त्री को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) (सी) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2011

फा. क्र. 865/367/21-ब/छ. ग./2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड एक एवं छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 8 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री आलोक कुमार आत्मज-श्री बजरंग लाल उपाध्याय को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) (सी) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 10-3/2011/16.—कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि उक्त अधिनियम के समस्त उपबंध, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर प्रत्येक ऐसे स्थान को, जहां स्टोन क्रशिंग और मिनरल पल्वराईजिंग प्रोसेस, शक्ति की सहायता से या शक्ति की सहायता के बिना या सामान्यतः ऐसे चलाई जा रही हो, इस बात के होते हुए भी लागू होंगे कि :—

(एक) उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या, यदि शक्ति की सहायता से कार्य रहे हों तो दस से कम हो, और यदि शक्ति की सहायता के बिना कार्य कर रहे हों तो बीस से कम हो : या

(दो) उसमें कार्य करने वाले व्यक्ति उसके स्वामी द्वारा नियोजित न हो किन्तु ऐसे स्वामी की अनुज्ञा से या ऐसे स्वामी के साथ करार के अधीन कार्य कर रहे हों:

परंतु विनिर्माण प्रक्रिया स्वामी द्वारा केवल उसके कुटुम्ब की सहायता से नहीं चलाई जा रही हो.

No. F 10-3/2011/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the State Government hereby declares that all the provisions of the said Act shall apply to every place within the State of Chhattisgarh, wherein stone crushing and mineral pulverizing process is carried on with or without the aid of power or is so ordinarily carried on, notwithstanding that :—

(1) the number of persons employed there in is less than ten, if working with the aid of power and less than twenty if working without the aid of power, or

(2) the persons working there in are not employed by the owner thereof but are wotking with the permission of or under the agreement with such owner :

Provided that the manufacturing process is not being carried on by the owner only with aid of his family.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 8-2/2009/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला दुर्ग के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 59-संजारी बालोद में उप निर्वाचन हेतु नियत मतदान की तिथि 14 फरवरी 2011 दिन सोमवार को मतदान हेतु कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 14 फरवरी 2011 दिन सोमवार की उक्त विधान सभा क्षेत्र में अवकाश घोषित किया जाता है.

2. ऐसे कारखानें जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया जाता है. साथ ही जो कारखानें निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2011

क्रमांक 266/764/2010/16.—कारखाना अधिनियम, 1948 (सन् 1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. सी. सिन्हा, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ को मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कारखाना निरीक्षक नियुक्त करता है.

No. 266/764/2010/16.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Factories Act. 1948 (63 of 1948) and in supersession of the all previous notifications the State Government of Chhattisgarh hereby appoints Shri R. C. Sinha Commissioner Labour, Chhattisgarh as the Chief Inspector of Factories and to exercise the powers of an Inspector the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2011

क्रमांक/एफ-10-5/25-3/2010/आजावि.—माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के द्वारा विविध याचिका क्रमांक/4268/1991 जटाशंकर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य चार में पारित न्यायिक दृष्टांत कि "किसान जाति को अलग से अधिसूचित करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह माना जाए कि किसान ही नगेसिया है" के अनुपालन हेतु विभाग के पत्र क्रमांक/डी/755/आजाक/2001 दिनांक 13-3-2001 के द्वारा कलेक्टर, सरगुजा को निर्देशित किया गया था तथा कलेक्टर, सरगुजा के पत्र क्रमांक/2687/स.अ.ग./2001/277 दिनांक 16-3-2001 द्वारा समस्त संबंधित राजस्व अधिकारियों को "किसान नगेसिया" को भी अनुसूचित जनजाति मानते हुए तद्नुसार समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, संबंधी परिपत्र प्रेषित किया गया.

2. उपर्युक्त संबंध में यह शिकायत प्राप्त हुई है कि सरगुजा जिले में "किसान" जाति को "नगेसिया" जाति मानकर अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है जबकि "किसान" जाति छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अंकित एवं शामिल नहीं है.

3. उपर्युक्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य आदिमजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान का अभिमत मांगा गया था. संस्थान द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय संविधान पीठ के द्वारा ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 393 महाराष्ट्र बनाम मिलिंद में पारित निर्णय के आलोक में "किसान" जाति को "नगेसिया" जाति मानकर अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी कार्यवाही को विधि संगत नहीं होने का अभिमत दिया गया है. महाराष्ट्र बनाम मिलिंद के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि (1) अनुसूचित जनजाति आदेश को वैसा ही पढ़ा जाना चाहिए, जैसा वह है. ऐसा कहने की अनुमति दिए जाने योग्य नहीं है कि एक जनजाति अथवा जनजाति समुदाय का भाग अथवा समूह अथवा पर्यायवाची है, यदि वह जाति उक्त आदेश में विशिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है. (2) संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंध (1) के अंतर्गत जारी किए गए अनुसूचित जनजाति अधिसूची को केवल संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है. (3) संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंध (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विशिष्टि रूप से वर्णित अनुसूचित जनजाति की सूची में परिवर्तन, संशोधन अथवा सुधार करने का अधिकार राज्य शासन, अथवा न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों या किसी अन्य प्राधिकारियों को नहीं है.

4. इस प्रकार स्पष्ट है कि विभाग द्वारा जारी निर्देश पत्र दिनांक 13-3-2001 एवं कलेक्टर सरगुजा द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16-3-2001 माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा याचिका क्रमांक 4268/1991-जटाशंकर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित निर्णय के अनुरूप था तथा तत्समय इसे जारी करना कोई भूल अथवा त्रुटि नहीं थी परंतु बाद में ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 393 महाराष्ट्र बनाम मिलिंद में माननीय उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के निर्णय के आलोक में विभाग एवं कलेक्टर, सरगुजा द्वारा पारित परिपत्र विधि अनुकूल नहीं रह जाता है.

5. अतः राज्य शासन, एतद्द्वारा आदेशित करता है कि अन्य आदेश पर्यन्त "किसान नगेसिया" अथवा "किसान" जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावे और न ही इस जाति के जाति प्रमाण पत्र धारकों को अनुसूचित जनजाति को संविधान प्रदत्त सुविधाएं प्रदान की जावें परंतु इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की पूर्व तिथियों में उन्हें प्रदत्त संवैधानिक सुविधाओं से संबंधित प्रकरण नहीं खोले जाएंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 पार्ट.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2004) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

नियमावली के परिशिष्ट-एक में प्रविष्टि 117 के पश्चात् निम्नांकित नई सामग्री सम्मिलित किया जाता है :—

अनुक्रमांक—118 सिलाई मशीन
अनुक्रमांक—119 टूल्स किट्स (श्रमिक औजार) :—
अ- राजगिस्त्री
ब- इलेक्ट्रिशियन
स- प्लंबर
द- पेन्टर
इ- कारपेन्टर
फ- रेजा कुली

उक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावी माने जावेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 25-7/2010/नौ/55.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 के अंग्रेजी संस्करण में सरल क्रमांक 1 के कॉलम 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

S. No. (1)	Name of persons (2)	Designation (3)
1-	Dr. Ashwani Kumar Dewangan	Medical Officer and Incharge District Malaria Officer Raipur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 25-7/2010/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 28th January 2011

No. F 25-7/2010/IX/55.—For column (3) of serial No. 1 in English Version of this Department's Notification of even Number dated 15th December, 2010 following shall be substituted, namely :—

S. No. (1)	Name of persons (2)	Designation (3)
1-	Dr. Ashwani Kumar Dewangan	Medical Officer and Incharge District Malaria Officer Raipur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 15-5/15-1/2005/1.—छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 24 (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के शहरी सहकारी बैंकों के लिए अंशधारण सीमा में 2,00,000 (दो लाख) रुपये तक की वृद्धि करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 15-5/15-1/2005/1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-5/15-2/2005-1 दिनांक 28-01-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Raipur, the 28th January 2011

No. F 15-5/15-1/2005/1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to section 24 (b) of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) the State Government hereby increase the share holding limit for the members of Urban Co-operative Banks of the State, upto Rs. 2,00,000 (Rs. Two Lacs).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DINESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secretary.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 7-5/2011/12.—खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 74 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका के कालम (5) एवं (6) में उल्लेखित देशांश एवं अक्षांश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से इस अधिसूचना जारी होने की तारीख के पूर्व से अनुशंसित तथा स्वीकृत आरपी/पीएल/एमएल क्षेत्रों को छोड़कर, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा स्वर्ण एवं किंबरलाइट चट्टानों की खोज हेतु सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण के लिए आरक्षित करती है :—

क्र.	जिला	खनिज	टोपोशीट नंबर	अक्षांश	देशांश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुर	स्वर्ण	64 K	21°30' 00" 21°28' 15"	82°50' 15" 82°51' 55"

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				21°28' 15"	82°53' 35"
				21°26' 40"	82°53' 35"
				21°25' 30"	82°53' 00"
				21°24' 30"	82°51' 40"
				21°20' 40"	82°55' 00"
				21°20' 00"	82°55' 00"
				21°20' 15"	82°49' 45"
				21°26' 30"	82°49' 45"
				21°20' 00"	82°51' 10"
				21°25' 35"	82°51' 30"
				21°27' 25"	82°51' 30"
				21°29' 20"	82°50' 00"
				21°30' 00"	82°50' 00"
2.	बिलासपुर	किंबरलाइट	64 F	22°30' 00"	81°30' 00"
				22°30' 00"	82°15' 00"
				22°17' 00"	82°15' 00"
				22°17' 00"	81°59' 35"
				22°15' 00"	81°59' 35"
				22°15' 00"	81°30' 00"

2. उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 03 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी. खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 74 (2) के उपबंध के अधीन इस अधिसूचना के प्रभावशील रहने पर खनिज रियायतें स्वीकृत नहीं की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 7-5/2011/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-5/2011/12 दिनांक 07-02-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 7th February 2011

No. F 7-5/2011/12.—In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of Rule 74 of Mineral Concession Rule, 1960, reserve the State Government hereby, reserve areas fall within the longitudes and latitudes mentioned in column (5) and (6), the following table for survey/prospecting of Gold and Kimberlite by the Geological Survey of

India (GSI), leaving the recommended and sanctioned RP/PL/ML areas before the date of this notification.

TABLE

SN	District	Mineral	Toposheet No.	Latitude	Longitude
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Raipur	Gold	64 K	21°30' 00"	82°50' 15"
				21°28' 15"	82°51' 55"
				21°28' 15"	82°53' 35"
				21°26' 40"	82°53' 35"
				21°25' 30"	82°53' 00"
				21°24' 30"	82°51' 40"
				21°20' 40"	82°55' 00"
				21°20' 00"	82°55' 00"
				21°20' 15"	82°49' 45"
				21°26' 30"	82°49' 45"
				21°20' 00"	82°51' 10"
				21°25' 35"	82°51' 30"
				21°27' 25"	82°51' 30"
				21°29' 20"	82°50' 00"
				21°30' 00"	82°50' 00"
2.	Bilaspur	Kimberlite	64 F	22°30' 00"	81°30' 00"
				22°30' 00"	82°15' 00"
				22°17' 00"	82°15' 00"
				22°17' 00"	81°59' 35"
				22°15' 00"	81°59' 35"
				22°15' 00"	81°30' 00"

2. The notification shall remain in force for 03 years from the date of publication in the official gazette. No mineral concession will be sanctioned under the provision of rule 74 (2) of Mineral Concession Rule, 1960, on the effect of this notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2011

क्रमांक/एफ 7-24/32/2010.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 8-07-2010 द्वारा दुर्ग-भिलाई (भाग-1) विकास योजना

में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

दुर्ग-भिलाई विकास योजना (भाग-1) के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (वर्ग फुट में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	हिंगना प.ह.नं. 67 तह. व जिला दुर्ग	21 पार्ट, 22, 23 पार्ट, 24 पार्ट, 26 पार्ट, 112 पार्ट, 114/1 पार्ट, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 पार्ट, 125 पार्ट, 126, 127 पार्ट, 128, 129 पार्ट, 130 पार्ट, 131 पार्ट, 132/1 पार्ट, 2 पार्ट, 138 पार्ट, 140, 141, 142, 143 पार्ट, 146 पार्ट, 114/2, 114/3, 136 पार्ट, 138 पार्ट, 144 पार्ट, 147 पार्ट, 162 पार्ट, 169/2 पार्ट, 3 पार्ट, 170 पार्ट, 171 पार्ट, 196 पार्ट, 197 पार्ट, 199 पार्ट, 200 पार्ट	34.59 एकड़	वृक्षारोपण	औद्योगिक
2.	मरोदा प.ह.नं. 67 तह. जिला दुर्ग	16/2 पार्ट			
		कुल रकबा	**34.59 एकड़**		

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड भिलाई स्टील प्लांट के स्वामित्व की भूमि पर भिलाई जे.पी. सीमेंट लिमिटेड द्वारा सीमेंट ग्राइडिंग यूनिट की स्थापना के प्रयोजन के लिए है.

3. प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में आपत्ति/सुझाव प्राप्त किए गए. आपत्तिकर्ताओं को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 09-11-2010 को की गई. आपत्तिकर्ताओं द्वारा लिखित तथा मौखिक में मुख्यत: निम्न आपत्तियां प्रस्तुत की गई :—

1. जे. पी. सीमेंट पूर्व से स्थापित हो गया है इसलिए अत्यावश्यक लोक प्रयोजन के लिये छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क के तहत उपांतरण किये जाने का कोई औचित्य नहीं है.

2. नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय दुर्ग द्वारा पूर्व में इस स्थल पर ठोस अपशिष्ट के लिये स्थल आरक्षण किये जाने पर इस आधार पर आपत्ति लगाई थी कि यह स्थल विकास योजना में वृक्षारोपण के लिये आरक्षित है. परन्तु जे.पी. सीमेंट द्वारा प्लांट लगाये जाने के लिये उपांतरण क्यों प्रस्तावित कियां जा रहा है.

3. जे. पी. सीमेंट प्लांट में सीमेंट बनाये जाने के लिये जिप्सम की भी ब्लाईडिंग की जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिये अत्यंत घातक है. यह प्लांट आवासीय क्षेत्र के निकट स्थापित किया गया है. इसके प्रदूषण से भिलाई के आस-पास की जनता अत्यंत परेशान है एवं प्रदूषण का सामना करते हुए अनेक रोगों को आमंत्रित कर रही है, जिसका प्रभाव भिलाई के अधिकांश जनसंख्या पर पड़ रहा है. आम जनता के स्वास्थ्य को दरकिनार करते हुए इस प्लांट को बनाये रखना उचित नहीं है. छोटे-मोटे अतिक्रमणकारियों को दबाव बनाकर नगर निगम तथा नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा बेदखल कर दिया जाता है परन्तु इस

बड़े अनाधिकृत रूप से स्थापित उद्योग को हटाये जाने की कार्यवाही नहीं की जा रही है.

4. इस प्लांट की स्थापना से शासन को भी क्षति होने की संभावना है. इसलिये इस प्लांट को स्थापित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है.

5. आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिये जो विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्र में दिया गया था, जिनका सरक्यूलेशन 200 प्रतियों से ज्यादा नहीं है, इससे अधिक सरक्यूलेशन वाले दैनिक समाचार पत्र में दिया जाना चाहिये था, ताकि आम-जनता भी आपत्ति करती और आपत्तियों की संख्या इससे कहीं बहुत अधिक होती.

6. आपत्तिकर्ताओं द्वारा यह भी बताया कि सुनवाई का सूचना पत्र सुनवाई की तिथि को या उसके एक दिन पूर्व प्राप्त हुआ है, जो उचित नहीं है.

7. सेल को भूमि राष्ट्रपति ने दी है.

4. उक्त आपत्ति/सुझावों पर कलेक्टर, दुर्ग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाकर उनका प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है, जिसमें मुख्यत: प्रदूषण से संबंधित आपत्तियां थी. चूंकि प्रश्नाधीन विकास की पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए दी जा चुकी है, अत: पर्यावरण संबंधी आपत्तियां का निराकरण इससे हो जाता है. अन्य आपत्तियों के संबंध में समिति के प्रतिवेदन में कोई विशिष्ट तथ्य नहीं पाया. जहां तक सक्षम अनुमति प्राप्त किए बिना निर्माण का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 36 एवं 37 तथा नगर पालिक अधिनियम में यथोचित प्रावधान किये गये हैं, जिसमें दण्ड/शास्ति का प्रावधान है. प्रकरण भू-उपयोग में मात्र उपांतरण से संबंधित है, अत: आपत्ति/सुझावों को अमान्य किया जाता है.

5. अत: राज्य शासन अधिनियम की धारा 23-क की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतद्द्वारा दुर्ग भिलाई (भाग-1) विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण दुर्ग-भिलाई (भाग-1) विकास योजना का एकीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2010

क्रमांक 07/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	बिटकुली	4.204	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	आनंद सागर जलाशय बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2011

रा.प्र.क्र. 05/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	कुकुसदा	0.020	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर (छ. ग.)	कुकुसदा-परसिया मार्ग पर आगर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2011

रा.प्र.क्र. 06/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	तुमाडेटा	0.680	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर (छ. ग.)	कुकुसदा-परसिया मार्ग पर आगर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 14 जनवरी 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) ज़िला-बस्तर जिला
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-करनपुर, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	140	0.20
	143	0.01
	144	0.05
	147	0.12
	148/1	0.04
योग	5	0.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट स्थापना में जल आपूर्ति हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं परियोजना प्रबंधक एन.एम.डी.सी., जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर सिंह परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2011

रा.प्र.क्र. 04/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-मुंगेली, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.46 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	809/1	0.38
	808/2	0.34
	807/2	0.48
	807/4	0.34
	803/2	0.20
	804/2	0.20
	794/3	0.28
	786/5	1.21
	793/5	
योग	8	3.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.